न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 14/57

गोरधन आत्मज गजानन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम अगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
———अपीलान्ट

बनाम

रामस्वरूप आत्मज गंगाबिशन जाति ब्राह्मण बोहरा निवासी नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा।
———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री केसरी लाल बैरवा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 06.12.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं दण्डनायक, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2011 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत ग्राम बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 182 की 0.04 एवं खसरा नम्बर 183 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी को वादी के खाते व कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 182 की 0.04 हैक्टर भूमि पर से 03 इंटू 08 मीटर की भूमि पूर्वी दक्षिणी कोने से बेदखल किया जाका वादी को उस पर दखल कब्जा दिलाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.04.2011 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 182 व 183 के हिस्से से बेदखल किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2011 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की

प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.01.2014 को पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत ई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया वे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रेंजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट कोई सूचना नहीं और न ही प्रोपर तामील करवाई । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.06.2008 को श्रीमती रेवडी बाई पत्नी राधेश्याम जाति खाती को बेचान कर पंजीयन करवा दिया और कब्जा संभला दिया । इस प्रकार उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है और न ही उक्त भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट कोई सूचना नहीं और न ही प्रोपर तामील करवाई । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

10. वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.06.2008 को श्रीमती रेवडी बाई पत्नी राधेश्याम जाति खाती को बेचान कर पंजीयन करवा दिया और कब्जा संभला दिया । इस प्रकार उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है और न ही उक्त भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर विवेचन किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायाहित में उचित समझते हैं ।

रोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । स्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2011 निरस्त किया जाता है । रण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 30.01.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 06.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा